

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
प्रारूप-26
(नियम 4क देखिए)

11AA 873685

23-डोईताल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।



मैं श्री. सिद्धेश्वर स्वामी के.एस.विठ्ठल पुत्र श्री. के.एस.विठ्ठल आयु 71 वर्ष, जो 15 लेक आसिम
श्री. के.एस.विठ्ठल की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-

मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए
हैं। X (शून्य)

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

-लागू नहीं (शून्य)


2.

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू नहीं (शून्य)
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... लागू नहीं (शून्य) जिला या जिले..... X राज्य..... X (शून्य)
- (शून्य)
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं (शून्य)
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... लागू नहीं (शून्य)
-
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे..... लागू नहीं (शून्य)
-
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं..... लागू नहीं (शून्य)
-

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है। लागू नहीं (शून्य)

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगी):

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू नहीं (शून्य)
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... लागू नहीं (शून्य)
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... लागू नहीं (शून्य) जिला (जिले)..... राज्य.....
- (शून्य)
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं (शून्य)



.3.


(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे.....

लागू नहीं (शून्य)

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

लागू नहीं (शून्य)

स्थान: देहरादून
तारीख:-11.01.2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 11.01.2012 को सत्यापित किया।



certified that the Deponent has Sworn & Verified that the contents of this Affidavit are true and correct to the best of his knowledge and belief.
Smt. Savitri Jaiswal
Notary Public, Dehradun

Mr. Hira Singh Bishr
P. S. Negi, Adv.
Smt. Savitri Jaiswal
11/1/12


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर